राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

जयपुर दिनांक 30-01-14

क्रमांक प0 12(15) राज/वाद/08,पार्ट

:: आदेश ::

दी राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट मैन्यूअल 1999 के नियम 14 के अनुसरण में राज्यपाल महोदया की आज्ञा से राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु श्रीमती आर.आर.कंवर, अभिभाषक को गवर्नमेंट काउन्सिल, जोधपुर के पद पर मासिक रिटेनरशिप राशि रू. 17,500/– प्रतिमाह (निश्चित) पर कार्यभार संभालने की तिथि से अग्रिम आदेश तक के लिए निम्नांकित सेवा शर्तों पर नियुक्त किया जाता है:–

शर्तें:–

1. वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों या निगमों का जिनमें राजकीय हितों का उनसे विरोध हो, ऐसा मामला (ब्रीफ) स्वीकार करने के अधिकारी नहीं होंगे।
2. वे उच्च न्यायालय में उनके द्वारा किये गये किसी सरकारी कार्य के लिए जिनमें राय देने का कार्य भी सम्मिलित है, कोई अतिरिक्त फीस प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।
3. वे महाधिवक्ता/अति0 महाधिवक्तागण, जोधपुर के निर्देशों एवं देखरेख में कार्य सम्पादन करेंगे। साथ ही यह नियुक्ति राजकीय अधिवक्तागण के संदर्भ में प्रचलित आदेशों में वर्णित सुसंगत शर्तों के अनुसार भी शासित होगी।
4. वे उच्च न्यायालय के समक्ष उन्हें सौंपे गये सभी दीवानी मामले/याचिकाऐं व विधि मामलों की पैरवी करेंगे।
5. उक्त गवर्नमेंट काउन्सिल को अन्य एलाउन्स/चार्जेज/सुविधाऐं वही देय होगी जो वर्तमान में गवर्नमेंट काउन्सिल को दी जा रही है।

आज्ञा से,

ह0

(प्रकाश गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री/विशेषाधिकारी (वाई) माननीया मुख्यमंत्री।
3. निजी सहायक, माननीय मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।

निरन्तर.....

File Nulade 12/12

5. समस्त जिला कलक्टर / विभागाध्यक्ष।
6. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच जयपुर / समस्त अति0 महाधिवक्ता, जयपुर / जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता / प्रशासक वादकरण, जयपुर / जोधपुर।
8. अतिरिक्त महाधिवक्ता / समस्त एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
9. संबंधित अधिवक्ता।
10. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को राज0 राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
11. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
12. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
13. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / रजिस्ट्रार प्रशासन, राज0 उच्च न्यायालय, बैंच जयपुर।
14. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
15. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
16. लेखा शाखा, विधि (वादकरण) विभाग।
17. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ / समस्त उप विधि परामर्शीगण, विधि विभाग।
18. कोषाधिकारी, जोधपुर।
19. रक्षित पत्रावली।

30.1.14

(गोवर्धन बाढदार)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(15) राज/वाद/08,पार्ट जयपुर दिनांक 30-01-14

:: आदेश ::

दी राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट मैन्यूअल 1999 के नियम 14 के अनुसरण में राज्यपाल महोदया की आज्ञा से राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु निम्नांकित अभिभाषकों को एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल/डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल, जोधपुर के पद पर उनके नाम के सम्मुख वर्णित रिटेनरशिप फीस पर कार्यभार संभालने की तिथि से अग्रिम आदेश तक के लिए निम्नांकित सेवा शर्तों पर नियुक्त किया जाता है:-

क्र0सं0	नाम	पद नाम	मासिक रिटेनरशिप (निश्चित)
1	श्री श्याम मनोहर तोषनीवाल	एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल	14,000/-
2	डॉ0 प्रतिष्ठा दवे सिन्हा	एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल	14,000/-
3	सुश्री कुसुम राव	एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल	14,000/-
4	श्री अनिल बिस्सा	एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल	14,000/-
5	सुमन पारवाल	डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल	12,600/-
6	श्री त्रिभुवन सिंह	डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल	12,600/-
7	श्री संजय राज पालीवाल	डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल	12,600/-
8	श्री लेखाराम बिश्नोई	डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल	12,600/-
9	श्री देवकीनन्दन व्यास	डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल	12,600/-

शर्तें:-

1. वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों या निगमों का जिनमें राजकीय हितों का उनसे विरोध हो, ऐसा मामला (ब्रीफ) स्वीकार करने के अधिकारी नहीं होंगे।
2. वे उच्च न्यायालय में उनके द्वारा किये गये किसी सरकारी कार्य के लिए जिनमें राय देने का कार्य भी सम्मिलित है, कोई अतिरिक्त फीस प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।
3. वे महाधिवक्ता/अति0 महाधिवक्तागण, जोधपुर के निर्देशों एवं देखरेख में कार्य सम्पादन करेंगे। साथ ही यह नियुक्ति राजकीय अधिवक्तागण के संदर्भ में प्रचलित आदेशों में वर्णित सुसंगत शर्तों के अनुसार भी शासित होगी।
4. वे उच्च न्यायालय के समक्ष उन्हें सौंपे गये सभी दीवानी मामले/याचिकाऐं व विधि मामलों की पैरवी करेंगे।
5. उक्त एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल/डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल को अन्य एलाउन्स/चार्जेज/सुविधाऐं वही देय होगी जो वर्तमान में एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल/डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल को दी जा रही है।

आज्ञा से,

(प्रकाश गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

निरन्तर.....

Receipt No. 218
12-2-14

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री / विशेषाधिकारी (बाई) माननीया मुख्यमंत्री।
3. निजी सहायक, माननीय मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव।
5. समस्त जिला कलक्टर / विभागाध्यक्ष।
6. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच जयपुर / समस्त अति0 महाधिवक्ता, जयपुर / जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता / प्रशासक वादकरण, जयपुर / जोधपुर।
8. अतिरिक्त महाधिवक्ता / समस्त एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
9. संबंधित अधिवक्ता।
10. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को राज0 राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
11. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
12. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
13. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / रजिस्ट्रार प्रशासन, राज0 उच्च न्यायालय, बैंच जयपुर।
14. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
15. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
16. लेखा शाखा, विधि (वादकरण) विभाग।
17. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ / समस्त उप विधि परामर्शीगण, विधि विभाग।
18. कोषाधिकारी, जोधपुर।
19. रक्षित पत्रावली।

30.1.14

(गोवर्धन बाढदार)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(15) राज/वाद/08,पार्ट जयपुर दिनांक 30-01-14

:: आदेश ::

दी राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट मैन्यूअल 1999 के नियम 14 के अनुसरण में राज्यपाल महोदया की आज्ञा से राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु निम्नांकित अभिभाषकों को असिस्टेंट गवर्नमेंट काउन्सिल, जोधपुर के पद पर उनके नाम के सम्मुख वर्णित रिटेनरशिप फीस पर कार्यभार संभालने की तिथि से अग्रिम आदेश तक के लिए निम्नांकित सेवा शर्तों पर नियुक्त किया जाता है:—

क्र0सं0	नाम	पद नाम	मासिक रिटेनरशिप (निश्चित)
1	श्री नरेन्द्र कुमार गहलोत	असि0 गवर्नमेंट काउन्सिल	10,000/—
2	श्री मुकेश रावल	असि0 गवर्नमेंट काउन्सिल	10,000/—
3	श्री अक्षय तिवारी	असि0 गवर्नमेंट काउन्सिल	10,000/—
4	श्री गौरव निम्बावत	असि0 गवर्नमेंट काउन्सिल	10,000/—

शर्तें:—

1. वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों या निगमों का जिनमें राजकीय हितों का उनसे विरोध हो, ऐसा मामला (ब्रीफ) स्वीकार करने के अधिकारी नहीं होंगे।

2. वे उच्च न्यायालय में उनके द्वारा किये गये किसी सरकारी कार्य के लिए जिनमें राय देने का कार्य भी सम्मिलित है, कोई अतिरिक्त फीस प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

3. वे महाधिवक्ता/अति0 महाधिवक्तागण, जोधपुर अथवा संबंधित गवर्नमेंट काउन्सिल, जोधपुर के निर्देशों एवं देखरेख में कार्य सम्पादन करेंगे। साथ ही यह नियुक्ति राजकीय अधिवक्तागण के संदर्भ में प्रचलित आदेशों में वर्णित सुसंगत शर्तों के अनुसार भी शासित होगी।

4. वे उच्च न्यायालय के समक्ष उन्हें सौंपे गये सभी दीवानी मामले/याचिकाऐं व विधि मामलों की पैरवी करेंगे।

आज्ञा से,

ह0

(प्रकाश गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

निरन्तर.....

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री / विशेषाधिकारी (वाई) माननीया मुख्यमंत्री।
3. निजी सहायक, माननीय मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव।
5. समस्त जिला कलक्टर / विभागाध्यक्ष।
6. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच जयपुर / समस्त अति0 महाधिवक्ता, जयपुर / जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता / प्रशासक वादकरण, जयपुर / जोधपुर।
8. अतिरिक्त महाधिवक्ता / समस्त एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
9. संबंधित अधिवक्ता।
10. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को राज0 राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
11. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
12. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
13. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / रजिस्ट्रार प्रशासन, राज0 उच्च न्यायालय, बैंच जयपुर।
14. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
15. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
16. लेखा शाखा, विधि (वादकरण) विभाग।
17. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ / समस्त उप विधि परामर्शीगण, विधि विभाग।
18. कोषाधिकारी, जोधपुर।
19. रक्षित पत्रावली।

30.1.17

(गोवर्धन बाढदार)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(15) राज/वाद/08,पार्ट जयपुर दिनांक 4/2/14

:: आदेश ::

दी राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट मैन्यूअल 1999 के नियम 14 के अनुसरण में राज्यपाल महोदया की आज्ञा से राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु श्री बंशीलाल भाटी, अभिभाषक को गवर्नमेंट काउन्सिल, जोधपुर के पद पर मासिक रिटेनरशिप राशि रू. 17,500/– प्रतिमाह (निश्चित) पर कार्यभार संभालने की तिथि से अग्रिम आदेश तक के लिए निम्नांकित सेवा शर्तों पर नियुक्त किया जाता है:–

शर्तें:–

1. वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों या निगमों का जिनमें राजकीय हितों का उनसे विरोध हो, ऐसा मामला (ब्रीफ) स्वीकार करने के अधिकारी नहीं होंगे।
2. वे उच्च न्यायालय में उनके द्वारा किये गये किसी सरकारी कार्य के लिए जिनमें राय देने का कार्य भी सम्मिलित है, कोई अतिरिक्त फीस प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।
3. वे महाधिवक्ता/अति0 महाधिवक्तागण, जोधपुर के निर्देशों एवं देखरेख में कार्य सम्पादन करेंगे। साथ ही यह नियुक्ति राजकीय अधिवक्तागण के संदर्भ में प्रचलित आदेशों में वर्णित सुसंगत शर्तों के अनुसार भी शासित होगी।
4. वे उच्च न्यायालय के समक्ष उन्हें सौंपे गये सभी दीवानी मामले/याचिकाऐं व विधि मामलों की पैरवी करेंगे।
5. उक्त गवर्नमेंट काउन्सिल को अन्य एलाउन्स/चार्जेज/सुविधाऐं वही देय होगी जो वर्तमान में गवर्नमेंट काउन्सिल को दी जा रही है।

आज्ञा से,

ह0

(प्रकाश गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री/विशेषाधिकारी माननीया मुख्यमंत्री।
3. निजी सहायक, माननीय मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।

निरन्तर.....

5. समस्त जिला कलक्टर / विभागाध्यक्ष।
6. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच जयपुर / समस्त अति0 महाधिवक्ता, जयपुर / जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता / प्रशासक वादकरण, जयपुर / जोधपुर।
8. अतिरिक्त महाधिवक्ता / समस्त एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
9. संबंधित अधिवक्ता।
10. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को राज0 राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
11. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
12. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
13. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / रजिस्ट्रार प्रशासन, राज0 उच्च न्यायालय, बैंच जयपुर।
14. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
15. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
16. लेखा शाखा, विधि (वादकरण) विभाग।
17. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ / समस्त उप विधि परामर्शीगण, विधि विभाग।
18. कोषाधिकारी, जोधपुर।
19. रक्षित पत्रावली।

04.2.14

(गोवर्धन बाढदार)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(15) राज/वाद/08,पार्ट जयपुर दिनांक 7/2/14

:: आदेश ::

दी राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट मैन्यूअल 1999 के नियम 14 के अनुसरण में राज्यपाल महोदया की आज्ञा से राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु श्री ओमप्रकाश बूब, अभिभाषक को गवर्नमेंट काउन्सिल, जोधपुर के पद पर मासिक रिटेनरशिप राशि रू. 17,500/– प्रतिमाह (निश्चित) पर कार्यभार संभालने की तिथि से अग्रिम आदेश तक के लिए निम्नांकित सेवा शर्तों पर नियुक्त किया जाता है:–

शर्तें:–

1. वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों या निगमों का जिनमें राजकीय हितों का उनसे विरोध हो, ऐसा मामला (ब्रीफ) स्वीकार करने के अधिकारी नहीं होंगे।

2. वे उच्च न्यायालय में उनके द्वारा किये गये किसी सरकारी कार्य के लिए जिनमें राय देने का कार्य भी सम्मिलित है, कोई अतिरिक्त फीस प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

3. वे महाधिवक्ता/अति0 महाधिवक्तागण, जोधपुर के निर्देशों एवं देखरेख में कार्य सम्पादन करेंगे। साथ ही यह नियुक्ति राजकीय अधिवक्तागण के संदर्भ में प्रचलित आदेशों में वर्णित सुसंगत शर्तों के अनुसार भी शासित होगी।

4. वे उच्च न्यायालय के समक्ष उन्हें सौंपे गये सभी दीवानी मामले/याचिकाऐं व विधि मामलों की पैरवी करेंगे।

5. उक्त गवर्नमेंट काउन्सिल को अन्य एलाउन्स/चार्जेज/सुविधाऐं वही देय होगी जो वर्तमान में गवर्नमेंट काउन्सिल को दी जा रही है।

आज्ञा से,

ह0
(प्रकाश गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री/विशेषाधिकारी (एस) माननीया मुख्यमंत्री।
3. निजी सहायक, माननीय मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।

निरन्तर.....

5. समस्त जिला कलक्टर/विभागाध्यक्ष।
6. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच जयपुर/समस्त अति0 महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता/प्रशासक वादकरण, जयपुर/जोधपुर।
8. अतिरिक्त महाधिवक्ता/समस्त एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
9. संबंधित अधिवक्ता।
10. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को राज0 राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
11. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
12. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
13. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/रजिस्ट्रार प्रशासन, राज0 उच्च न्यायालय, बैंच जयपुर।
14. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
15. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
16. लेखा शाखा, विधि (वादकरण) विभाग।
17. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/समस्त उप विधि परामर्शीगण, विधि विभाग।
18. कोषाधिकारी, जोधपुर।
19. रक्षित पत्रावली।

07/2/14

(गोवर्धन बाढदार)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(15) राज/वाद/08,पार्ट जयपुर दिनांक 4/2/14

:: आदेश ::

दी राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट मैन्यूअल 1999 के नियम 14 के अनुसरण में राज्यपाल महोदया की आज्ञा से राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु निम्नांकित अभिभाषकों को एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल/डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल, जोधपुर के पद पर उनके नाम के सम्मुख वर्णित रिटेनरशिप फीस पर कार्यभार संभालने की तिथि से अग्रिम आदेश तक के लिए निम्नांकित सेवा शर्तों पर नियुक्त किया जाता है:–

क्र0सं0	नाम	पद नाम	मासिक रिटेनरशिप (निश्चित)
1	श्री मनीष पटेल	एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल	14,000/–
2	श्री अजीत सिंह शेखावत	एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल	14,000/–
3	श्री नन्द किशोर मेहता	एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल	14,000/–
4	श्री देवराज बोहरा	एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल	14,000/–
5	श्री मुकेश दवे	डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल	12,600/–
6	श्री भरत दत्त शर्मा	डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल	12,600/–
7	श्री कमलदीप सिंह बोपाराय	डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल	12,600/–
8	श्री राजेश चौधरी	डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल	12,600/–
9	श्री अन्नाराम गोदारा	डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल	12,600/–

शर्तें:–

1. वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों या निगमों का जिनमें राजकीय हितों का उनसे विरोध हो, ऐसा मामला (ब्रीफ) स्वीकार करने के अधिकारी नहीं होंगे।
2. वे उच्च न्यायालय में उनके द्वारा किये गये किसी सरकारी कार्य के लिए जिनमें राय देने का कार्य भी सम्मिलित है, कोई अतिरिक्त फीस प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।
3. वे महाधिवक्ता/अति0 महाधिवक्तागण, जोधपुर के निर्देशों एवं देखरेख में कार्य सम्पादन करेंगे। साथ ही यह नियुक्ति राजकीय अधिवक्तागण के संदर्भ में प्रचलित आदेशों में वर्णित सुसंगत शर्तों के अनुसार भी शासित होगी।
4. वे उच्च न्यायालय के समक्ष उन्हें सौंपे गये सभी दीवानी मामले/याचिकाऐं व विधि मामलों की पैरवी करेंगे।
5. उक्त एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल/डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल को अन्य एलाउन्स/चार्जेज/सुविधाऐं वही देय होगी जो वर्तमान में एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल/डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल को दी जा रही है।

आज्ञा से,

ह0

(प्रकाश गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

निरन्तर.....

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री/विशेषाधिकारी माननीया मुख्यमंत्री।
3. निजी सहायक, माननीय मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
5. समस्त जिला कलक्टर/विभागाध्यक्ष।
6. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच जयपुर/समस्त अति0 महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता/प्रशासक वादकरण, जयपुर/जोधपुर।
8. अतिरिक्त महाधिवक्ता/समस्त एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
9. संबंधित अधिवक्ता।
10. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को राज0 राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
11. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
12. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
13. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/रजिस्ट्रार प्रशासन, राज0 उच्च न्यायालय, बैंच जयपुर।
14. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
15. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
16. लेखा शाखा, विधि (वादकरण) विभाग।
17. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/समस्त उप विधि परामर्शीगण, विधि विभाग।
18. कोषाधिकारी, जोधपुर।
19. रक्षित पत्रावली।

(गोवर्धन बाढदार)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(15) राज/वाद/08,पार्ट जयपुर दिनांक 4/2/14

:: आदेश ::

दी राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट मैन्यूअल 1999 के नियम 14 के अनुसरण में राज्यपाल महोदया की आज्ञा से राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु निम्नांकित अभिभाषकों को असिस्टेंट गवर्नमेंट काउन्सिल, जोधपुर के पद पर उनके नाम के सम्मुख वर्णित रिटेनरशिप फीस पर कार्यभार संभालने की तिथि से अग्रिम आदेश तक के लिए निम्नांकित सेवा शर्तों पर नियुक्त किया जाता है:–

क्र0सं0	नाम	पद नाम	मासिक रिटेनरशिप (निश्चित)
1	श्री शैलेष ठाकुर	असि0 गवर्नमेंट काउन्सिल	10,000/–
2	श्री किशनालाल विश्नोई	असि0 गवर्नमेंट काउन्सिल	10,000/–

शर्तें:–

1. वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों या निगमों का जिनमें राजकीय हितों का उनसे विरोध हो, ऐसा मामला (ब्रीफ) स्वीकार करने के अधिकारी नहीं होंगे।
2. वे उच्च न्यायालय में उनके द्वारा किये गये किसी सरकारी कार्य के लिए जिनमें राय देने का कार्य भी सम्मिलित है, कोई अतिरिक्त फीस प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।
3. वे महाधिवक्ता/अति0 महाधिवक्तागण, जोधपुर अथवा संबंधित गवर्नमेंट काउन्सिल, जोधपुर के निर्देशों एवं देखरेख में कार्य सम्पादन करेंगे। साथ ही यह नियुक्ति राजकीय अधिवक्तागण के संदर्भ में प्रचलित आदेशों में वर्णित सुसंगत शर्तों के अनुसार भी शासित होगी।
4. वे उच्च न्यायालय के समक्ष उन्हें सौंपे गये सभी दीवानी मामले/याचिकाऐं व विधि मामलों की पैरवी करेंगे।

आज्ञा से,

ह0
(प्रकाश गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री/विशेषाधिकारी माननीया मुख्यमंत्री।
3. निजी सहायक, माननीय मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि।

निरन्तर.....

4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
5. समस्त जिला कलक्टर/विभागाध्यक्ष।
6. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच जयपुर/समस्त अति0 महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता/प्रशासक वादकरण, जयपुर/जोधपुर।
8. अतिरिक्त महाधिवक्ता/समस्त एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
9. संबंधित अधिवक्ता।
10. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को राज0 राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
11. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
12. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
13. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/रजिस्ट्रार प्रशासन, राज0 उच्च न्यायालय, बैंच जयपुर।
14. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
15. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
16. लेखा शाखा, विधि (वादकरण) विभाग।
17. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/समस्त उप विधि परामर्शीगण, विधि विभाग।
18. कोषाधिकारी, जोधपुर।
19. रक्षित पत्रावली।

04.2.16

(गोवर्धन बाढदार)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(15) राज/वाद/08,पार्ट जयपुर दिनांक 7/2/14

:: आदेश ::

दी राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट मैन्यूअल 1999 के नियम 14 के अनुसरण में राज्यपाल महोदया की आज्ञा से राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु निम्नांकित अभिभाषकों को एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल/डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल, जोधपुर के पद पर उनके नाम के सम्मुख वर्णित रिटेनरशिप फीस पर कार्यभार संभालने की तिथि से अग्रिम आदेश तक के लिए निम्नांकित सेवा शर्तों पर नियुक्त किया जाता है:–

क्र0सं0	नाम	पद नाम	मासिक रिटेनरशिप (निश्चित)
1	श्री विशाल राज मेहता	एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल	14,000/–
2	श्री दिग्विजय सिंह जासोल	एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल	14,000/–
3	श्री नरेन्द्र सिंह राजपुरोहित	एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल	14,000/–
4	श्री प्रद्युमन सिंह	डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल	12,600/–
5	श्री हेमन्त जैन	डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल	12,600/–
6	श्री हर्षवर्धन सिंह	डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल	12,600/–

शर्तें:–

1. वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों या निगमों का जिनमें राजकीय हितों का उनसे विरोध हो, ऐसा मामला (ब्रीफ) स्वीकार करने के अधिकारी नहीं होंगे।
2. वे उच्च न्यायालय में उनके द्वारा किये गये किसी सरकारी कार्य के लिए जिनमें राय देने का कार्य भी सम्मिलित है, कोई अतिरिक्त फीस प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।
3. वे महाधिवक्ता/अति0 महाधिवक्तागण, जोधपुर के निर्देशों एवं देखरेख में कार्य सम्पादन करेंगे। साथ ही यह नियुक्ति राजकीय अधिवक्तागण के संदर्भ में प्रचलित आदेशों में वर्णित सुसंगत शर्तों के अनुसार भी शासित होगी।
4. वे उच्च न्यायालय के समक्ष उन्हें सौंपे गये सभी दीवानी मामले/याचिकाऐं व विधि मामलों की पैरवी करेंगे।
5. उक्त एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल/डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल को अन्य एलाउन्स/चार्जेज/सुविधाऐं वही देय होगी जो वर्तमान में एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल/डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल को दी जा रही है।

आज्ञा से,

ह0
(प्रकाश गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

निरन्तर.....

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री/विशेषाधिकारी (एस) माननीया मुख्यमंत्री।
3. निजी सहायक, माननीय मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
5. समस्त जिला कलक्टर/विभागाध्यक्ष।
6. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालयं, जयपुर बैंच जयपुर/समस्त अति0 महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता/प्रशासक वादकरण, जयपुर/जोधपुर।
8. अतिरिक्त महाधिवक्ता/समस्त एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
9. संबंधित अधिवक्ता।
10. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को राज0 राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
11. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
12. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
13. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/रजिस्ट्रार प्रशासन, राज0 उच्च न्यायालय, बैंच जयपुर।
14. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
15. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
16. लेखा शाखा, विधि (वादकरण) विभाग।
17. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/समस्त उप विधि परामर्शीगण, विधि विभाग।
18. कोषाधिकारी, जोधपुर।
19. रक्षित पत्रावली।

07/2/14

(गोवर्धन बाढदार)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(15) राज/वाद/08 पार्ट जयपुर दिनांक 7/2/14

:: आदेश ::

दी राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट मैन्यूअल 1999 के नियम 14 के अनुसरण में राज्यपाल महोदया की आज्ञा से राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु निम्नांकित अभिभाषकों को असिस्टेंट गवर्नमेंट काउन्सिल, जोधपुर के पद पर उनके नाम के सम्मुख वर्णित रिटेनरशिप फीस पर कार्यभार संभालने की तिथि से अग्रिम आदेश तक के लिए निम्नांकित सेवा शर्तों पर नियुक्त किया जाता है:–

क्र0सं0	नाम	पद नाम	मासिक रिटेनरशिप (निश्चित)
1	श्री जमताराम पटेल	असि0 गवर्नमेंट काउन्सिल	10,000/–
2	श्री श्याम पालीवाल	असि0 गवर्नमेंट काउन्सिल	10,000/–

शर्तें:–

1. वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों या निगमों का जिनमें राजकीय हितों का उनसे विरोध हो, ऐसा मामला (ब्रीफ) स्वीकार करने के अधिकारी नहीं होंगे।

2. वे उच्च न्यायालय में उनके द्वारा किये गये किसी सरकारी कार्य के लिए जिनमें राय देने का कार्य भी सम्मिलित है, कोई अतिरिक्त फीस प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

3. वे महाधिवक्ता/अति0 महाधिवक्तागण, जोधपुर अथवा संबंधित गवर्नमेंट काउन्सिल, जोधपुर के निर्देशों एवं देखरेख में कार्य सम्पादन करेंगे। साथ ही यह नियुक्ति राजकीय अधिवक्तागण के संदर्भ में प्रचलित आदेशों में वर्णित सुसंगत शर्तों के अनुसार भी शासित होगी।

4. वे उच्च न्यायालय के समक्ष उन्हें सौंपे गये सभी दीवानी मामले/याचिकाऐं व विधि मामलों की पैरवी करेंगे।

आज्ञा से,

ह0
(प्रकाश गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमु व सचिव, माननीया मुख्यमंत्री।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री/विशेषाधिकारी (एस) माननीया मुख्यमंत्री।
3. निजी सहायक, माननीय मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि।

निरन्तर.....

4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
5. समस्त जिला कलक्टर/विभागाध्यक्ष।
6. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच जयपुर/समस्त अति0 महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता/प्रशासक वादकरण, जयपुर/जोधपुर।
8. अतिरिक्त महाधिवक्ता/समस्त एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
9. संबंधित अधिवक्ता।
10. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को राज0 राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
11. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
12. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
13. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/रजिस्ट्रार प्रशासन, राज0 उच्च न्यायालय, बैंच जयपुर।
14. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
15. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
16. लेखा शाखा, विधि (वादकरण) विभाग।
17. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/समस्त उप विधि परामर्शीगण, विधि विभाग।
18. कोषाधिकारी, जोधपुर।
19. रक्षित पत्रावली।

07/2/14

(गोवर्धन बाढदार)
शासन सचिव, विधि